न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—38 / 2019(जीसीएमएस नम्बर 2019 / 00121)

1. रामजीलाल पुत्र शंकरलाल,
2. हरगोविन्द पुत्र शंकरलाल,
3. गोपाल पुत्र शंकरलाल,
4. मु. तीजा देवी पत्नी हरगोविन्द,
5. मु. प्रेमदेवी पत्नि रामजीलाल,
6. शंकरलाल पुत्र इन्द्रा, समस्त जाति मीना निवासी रामपुराकलां, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. मु. भौंरीदेवी पत्नि रामकरण, जाति मीना निवासी ग्राम रामपुराकलां तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. बाबूलाल पुत्र जनसी,
3. मीठालाल पुत्र जनसी,
4. छुट्टनलाल पुत्र जनसी,
5. मदनलाल पुत्र जगन्नाथ,
6. रामजीलाल पुत्र जगन्नाथ,
7. रामकिशोर पुत्र जगननाथ,
8. बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ, समस्त जाति ब्राहाम्ण, निवासी रामपुराकलां, तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
9. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. श्री उमेश गौड एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री महेश चन्द शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

दिनांकः—26.07.2024

निर्णय

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 9 को ही अधीनस्थ

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित कर एक प्रार्थना पत्र धारा 128 अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया गया जो आदेशिका अनुसार दिनांक 17.05.2018 को पेश होनी थी किन्तु उक्त पत्रावली दिनांक 17.05.2018 की बजाय पत्रावली दिनांक 22.05.2018 को पेश होकर आदेशिका लिखी गई। पत्रावली एन.ए.डी.ए कैम्प डोब में पेश हुई। वादी वकील उपस्थित, तहसीलदार व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट तलब हो, पुनः तारीख दिनांक 22.05.2018 की आदेशिका भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का से रिपोर्ट नियमानुसार प्राप्त करें, पुनः तारीख 22.05.2018 उपखण्ड अधिकारी साहब, पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट अनुसार अनुशंषा की जाती है। इसके बाद दिनांक 22.05. 2018 को पीठासीन अधिकारी का आदेश पत्रावली लोक अदालत कैम्प डोब में पेश हुई, जांच रिपोर्ट तहसीलदार में पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने की अनुशंषा की गई, पत्थरगढी आदेश दिया जाना उचित प्रतित होता है। नियमानुसार सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जावें। इस प्रकार शिविर ग्राम पंचायत डोब पर एक ही दिन में बिना सूचना व सुनवाई अपीलान्ट प्रत्यर्थी संख्या 1 व प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 8 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वेच्छिक रूप से आदेश फरमा दिया गया जो आदेश न्यायिक प्रक्रिया एवं विधिक प्रावधानों, न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों को बिना समझे तथा उक्त धारा में प्रावधित प्रावधानों को बिना समझे अपीलाधीन आदेश प्रशासनिक आदेश की तरह पारित कर अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि हाल प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में वर्णित तथ्यों के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 16 वाके ग्राम रामपुराकलां की सीमा स्थिति विवादस्पद शुरू से ही थी। अतः हाल प्रत्यर्थी प्रार्थीनी ने पुलिस इमदाद से सीमाज्ञान व सीमांकन की प्रार्थना अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी के समक्ष की गई थी तथा पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 19.04.2018 को अप्रार्थीगण को तलब करने का आदेश पारित किया, न्यायालय आदेश की पालना में अप्रार्थीगण को सूचना पत्र प्रसारित नही किये गये व पत्रावली दर्ज रजिस्टर भी नही हुई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने ही आदेश की पालना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की अवहेलना की है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि आराजीयात व पक्षकारगण ग्राम पंचायत पालून्दा क्षेत्र में स्थित है फिर भी प्रकरण को ग्राम पंचायत डोब शिविर में रखने की आवश्यकता अधीनस्थ न्यायालय को कैसे हुई। पीठासीन अधिकारी का प्रार्थीनी हाल प्रत्यर्थी संख्या 1 से आपसी तालमेल का अनुचित लाभ प्राप्त होने के कारण अपीलाधीन आदेश पक्षपातपूर्ण प्रसारित किया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

गया है जो विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी किन्ही पक्षकारगण की आराजीयात की सीमा के सम्बन्ध में विवाद होने पर अन्तर्गत धारा 111 भू राजस्व अधिनियम वर्तमान नक्शा जो अन्तर्गत धारा 112 राजस्व अधिनियम के अनुसार तैयार होता है या नक्शा उपलब्ध नही हो तो अधिपत्य के आधार पर सीमा तय करने को अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत सीमा विवाद का तय करने को सक्षम है किन्तु उपखण्ड अधिकारी ने विहित प्रक्रिया की पालना किये बिना ही अपीलाधीन आदेश स्वेच्छिक रूप से जारी कर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है जिसके कारण अपीलान्ट के अधिकारों का हनन होने अपीलान्ट के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण प्रार्थीनी द्वारा दर्ज करवाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। उन्होने आगे कथन किया है कि हाल प्रत्यर्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रामपुरा पालून्दा की सीमा पर स्थित है प्रार्थीनी ने अपनी आराजी का रकबा बढ़वाने के लिए अपीलान्ट की भूमि पर बिना सूचना व सुनवाई पत्थरगढी करवाकर अतिक्रमण किया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 उक्त अनुचित व अनाधिकृत कार्यवाही के कारण अपीलान्टस की भूमि पर कब्जा करने व अपीलान्ट को अपराधिक प्रकरण में फंसाना चाहती है। अपीलान्ट की भूमि पर प्रत्यर्थी ने अब से पूर्व कोई सीमाज्ञान या कब्जे के सम्बन्ध में कार्यवाही नही की। भूमि खसरा नम्बर 16 दो ग्रामों रायपुरा व पालून्दा की सीमाओं पर स्थित है। अपीलान्ट की प्रार्थनी की भूमि पर कभी कोई कब्जा नही रहा। प्रत्यर्थी को अपीलान्ट की भूमि पर पत्थरगढी करवाने का कोई अधिकार नही था। उप जिला कलक्टर अपीलान्ट एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की भूमि की सीमाऐं निर्धारित करने को सक्षम है। उन्होने आगे कथन किया है कि पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से अनुचित लाभ उठाकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश के 5 माह 10 दिन बाद मौके पर कार्यवाही कर पक्षकारगण के बीच विवाद के मार्ग प्रशस्त किया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2018 न्यायिक प्रक्रिया एवं विधिक प्रावधानों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 16 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का पालून्दा जिला दौसा में स्थित है जिसकी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काश्त कर लाभान्वित होती चली आ रही है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

रामपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा की निवासी है परन्तु यहॉ आस पडौस के खातेदार रेस्पोडेन्ट के अकेले होने का फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण करने की की कुचेष्टा करते रहते है तथा सीमाओं पर अतिक्रमण कर रेस्पोडेन्ट के खातेदारी अधिकारों का हनन कर रहे है। ऐसे में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी खातेदारी व अधिपत्य की कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 16 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम रामपुरा तहसील रामगढ पचवारा का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार रामगढ पचवारा को आवेदन करने पर राजस्व टीम गठित कर पूर्व मे तीन बार उक्त भूमि का सीमाज्ञान पडौसी खातेदारों की मौजूदगी में करवाया गया तथा मौके पर जरीब चलवाकर सीमाओं को चिन्हित किया गया परन्तु पडौसी खातेदारों ने राजस्व एजेन्सी की टीम द्वारा चिन्हित की गई आराजी भूमि की सीमाओं को नष्ट कर दी जिससे के अभाव में रेस्पोडेन्ट अपनी खातेदारी व अधिपत्य की कृषि भूमि की तहसीलदार रामगढ पचवारा व पुलिस इमदाद थाना रामगढ पचवारा से पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायार्थ आवश्यक होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार से मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट मंगवाने के पश्चात् ही गुणावगुण पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2018 पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे विदित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 9 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर रेस्पोडेन्ट संयोजित कर प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी प्रस्तुत किया गया है जिस प्रार्थना पत्र में दिनांक 19.04.2018 को रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किया गये थे एवं पत्रावली दिनांक 17.05.2018 को पेश होनी थी जो उक्त नियत दिनांक 17.05.2018 को पत्रावली प्रस्तुत नही होकर पत्रावली दिनांक 22.05.2018 को चार बार पेश होकर दिनांक 22.05.2018 को अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 को बिना नोटिस जारी किये ही निर्णित की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया एवं कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करते हुए जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2018 पारित किया गया है जिसे विधि सम्मत नही ठहराया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर एवं प्रकरण में समरी जॉच पश्चात् पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।